समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)
****

दूरभाष संख्या 0621-2212101 (का)
0621-2212105 (आ) 2217285 (फै)
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 19.01.2017 को मद्य निषेध कार्यक्रम के तहत् मानव श्रृंखला निर्माण की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

मद्य निषेध अभियान के द्वितीय चरण के तहत दिनांक 21.01.2017 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है । विभाग के द्वारा इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है । उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया :–

1. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01. 2017 को राज्व्यापी मानव श्रृंखला के निर्माण हेतु निर्धारित सभी **मुख्य मार्ग** एवं **पूरक मार्गों** पर 10.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक आकस्मिक एवं प्रशासनिक वाहनों को छोड़कर सभी छोटे–बड़े वाहनों का परिचालन बिल्कुल बंद रखा जाए । इस हेतु यातायात प्रबंधन **(Traffic Management)** की दिनांक 19.01.2017 की संध्या तक एडभाइजरी बना लिया जाए एवं उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दिया जाए । यह भी निदेश दिया गया कि आकस्किता की स्थिति के लिए सभी निर्धारित बिन्दुओं के लिए वैकल्पिक मार्ग को चिन्हित कर लिया जाए ।

उक्त एडभाइजरी के माध्यम से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से निकलने वाले यात्रि अथवा ट्रेन पकड़ने हेतु स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के बारे में भी समुचित जानकारी उपलब्ध करा दिया जाए ।

दिनांक 21.01.2017 को निर्धारित मार्ग पर मानव श्रृंखला में शामिल होने हेतु जन प्रतिनिधियों के वाहन को सुरक्षित स्थानों पर पार्किंग करा दिया जाएगा, ताकि निर्धारित मार्ग पर उसका परिचालन नहीं हो सके ।

1.1 जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी सुरक्षित बसों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें उपलब्ध करा दी जाए । यह भी निदेश दिया गया कि प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता आदि से भी समन्वय स्थापित करते हुए बसों को प्रखण्डों में भेजवा दिया जाए। मुख्य रूप से मुख्य मार्ग पर अवस्थित प्रखण्ड यथा गायघाट, कुढ़नी, सकरा एवं मोतीपुर को प्राथमिकता के आधार पर बसें शीघ्र उपलब्ध का दी जाए ।

1.2 जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु मानव संसाधन को लाने हेतु चिन्हित वाहनों के उपर पूर्व से स्टीकर चिपका दिया जाए, ताकि उसकी आसानी से पहचान किया जा सके ।

1.3 निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग पर 10.00 बजे अपराह्न तक सभी स्कूल बसों को निकलवा दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की अफरा–तफरी नहीं हो। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी उन स्कूल बसों को नियंत्रित ढंग से चिन्हित मार्ग से गणतव्य स्थल तक पहुचाने का कार्य करेंगे ।

1.4 जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्र में कोई भी निजी वाहन यथा ऑटो, टैक्सी, बसें आदि का परिचालन नहीं हो इस हेतु अनुरोध के रूप में स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य स्त्रोत से अपील जारी करा दिया जाए, ताकि दिनांक 21.01.2017 के पूर्व सभी वाहन संचालकों को जानकारी हो जाए ।

1.5 अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक, नगर को निदेश दिया गया कि ऑटो चालक संघ, टैक्सी चालक संघ, बस एसोसिएशन आदि के साथ बैठक कर मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग की जानकारी उपलब्ध करा दी जाए । साथ ही उन्हें बता दिया जाए इन मार्गों पर 10.0 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा तथा इसमें उनके सहयोग की आवश्यकता है । यथासंभव वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण करते हुए उन्हें इसकी जानकारी दे सकते हैं ।

1.6 निदेश दिया गया कि निर्धारित मुख्य मार्ग के अलावा पूरक मार्ग के जो बिन्दु छूटे हुए हैं उनको भी चिन्हित करते हुए यातायात नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए ।

1.7 अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01.2017 को निर्धारित समय के भीतर सभी वाहनों को मानव श्रृंखला हेतु चिन्हित मुख्य मार्ग से बिल्कुल अलग कर किसी खुले मैदान, स्कूल, कॉलेज के परिसर में पार्किंग कराने की व्यवस्था की जाए । यह ध्यान रखा जाए कि निर्धारित मार्ग पर प्रशासनिक वाहनों के अलावा कोई वाहन पार्किंग नहीं करे । वाहनों को मार्ग से हटाकर चिन्हित जगहों पर पार्किंग हेतु विधिवत दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करा दिया जाए ।

1.8 निदेश दिया गया कि यातायात नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी निर्धारित मार्ग को हर हाल में 10'.00 बजे पूर्वाह्न तक वाहनमुक्त कर दिया जाए । कोई भी निजी वाहन सड़क पर पार्किंग नहीं करे इसका गंभीरतापूर्वक ध्यान रखा जाए ।

1.9 निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण के उपरांत मानव श्रृंखला निर्माण हेतु आये हुए प्रतिभागियों को सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचने तक अन्य वाहनों का परिचालन बंद रखना होगा । 3.00 बजे अपराह्न के बाद बंद सभी वाहन सुरक्षित ढंग से परियालन करते हुए आगे बढ़ जायें इसका ध्यान रखा जाए । यातायात सामान्य होने तक सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी अपने–अपने स्थान पर बने रहेंगे एवं विधि'–व्यवस्था का संधारण करेंगे । इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।

1.10 निदेश दिया गया कि 1.00 बजे अपराह्न के बाद सड़क पर किसी प्रकार की भगदड़ या अफरा–तफरी नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए ।

2. जिलास्तर पर जारी संयुक्त आदेश में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को जोनल पदाधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके साथ पुलिस पदाधिकारी की सम्बद्धता नहीं की गई है । अनुमंडलाधिकारयों एवं पुलिस उपाधिक्षकों को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ संबंधित थाना को सम्बद्ध करते हुए इस आशय का आदेश जारी करा दिया जाए ।

3. अपर समहार्ता/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर जिला को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु सभी प्रतिनियुक्त/सम्बद्ध पदाधिकारियों को ब्रीफिंग कर उक्त सभी बातों की जानकारियाँ उपलब्ध करा दी जाए । साथ ही इसे उत्सव के रूप में मनाये जाने की कार्रवाई भी कराया जाए ।

4. अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला कहीं पर टूटे नहीं इसका गंभीरतापूर्वक अनुपालन कराया जाए । लोगों को यथासंभव पैदल ही मानव श्रृंखला हेतु निधारित मार्ग एवं बिन्दु पर लाया जाए ।

5. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार कुछ क्रेन की व्यवस्था करते हुए निर्धारित मार्ग पर अविस्थित रख लें ।

6. जिला परिवन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि चार वाहनों पर शुद्ध पेयजल के जार को रखकर भ्रमणशील होकर पानी उलपब्धता हेतु लगाया गया है । अपर समाहर्ता, मुजफ़्फरपुर द्वारा जानकारी दी गई कि निर्धारित मार्गों पर पानी की व्यवस्था हेतु पानी का टैंकर भ्रमणशील रहेगा । निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इसे सुनिश्चित करा लिया जाए ।

6.1 सभी सेक्टर पदाधिकारियों एवं प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों अपने साथ कम से दो–दो पानी बोतल रखेंगे इसे सुनिश्चित कराने का निदेश अनुमंडलाधिकारियों को दिया गया ।

6.2 जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी पेट्रोल पंप के व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर निर्धारित मार्ग पर पेट्रोल पम्प के सामने पेय जल की व्यवस्था कराने हेतु निदेशित किया जाए । वे पानी के ड्रम एवं बाल्टी के अलावा मग एवं ग्लास की व्यवस्था कर लेंगे । इसी प्रकार निर्धारित मार्ग पर अवस्थित सभी लाईन होटल एवं ढ़ावों के संचालाकों को भी पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु निदेशित करने का निदेश अनुमंडलाधिकारियों को दिया गया ।

6.3 अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्धारित मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग पर अवस्थित विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु संबंधित प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से भी निदेशित कर दिया जाए । पूर्व में भी ईस आशय का निदेश दिया जाए चुका है ।

6.4 सभी वरीय पदाधिकारी भी अपने स्तर से वाहनों में 15–20 पानी का बोतल रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने का उसका भी उपयोग किया जा सके ।

6.5 अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पानी की व्यवस्था हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमंडल से समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई की जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पानी की फिलिंग हेतु पानी का टैंकर भ्रमणशील रहे इसकी व्यवस्था भी करा ली जाए ।

6.6 सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को पूर्व में निदेश दिया गया कि वे विद्यालय के बच्चों को पानी के बोतल के साथ लायेंगे । अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसे सुनिश्चित करा लें ।

7. अपर समाहर्ता/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित सभी मार्ग में जगह–जगह पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें । इस हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पूर्व में निदेश दिया जा चुका है तथा वर्तमान में इसे सुनिश्चित करा लियाज जाए ।

8. मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित सभी मार्ग में शौचालय की व्यवस्था कराने हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमंडल एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है । अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए इसे सुनिश्चित करा लिया जाए । साथ ही सभी लाईन होटलों, ढावों एवं पेट्रोल पंप पर शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए ।

10. जिलास्तर पर पी0आई0आर0, मुजफ्फरपुर एवं प्रखण्डस्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है । नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि दिनांक 21.01.2017 को 9.00 बजे, 11 बजे, 1.00 बजे एवं 3.00 बजे वस्तुस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे । इस हेतु प्रत्येक 2 घंटे के आधा घंटा पूर्व ही सभी जगहों से आवश्यक सूचनाओं का संग्रहरण करते हुए निर्धारित समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । अपर समाहर्ता एवं अनुमंडलाधिकारी इसका अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 355 **/गो., दिनांक** 20/01/17

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, अपदा प्रबंधन/सहायक समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पूर्वी, पश्चिमी एवं सरैया/वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा/जिला अवर निबंधक/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका/जिला लेखा पदाधिकारी/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,

मुजफ्फरपुर/मोटर यान निरीक्षक/यातायात निरीक्षक, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – मानव श्रृंखला हेतु गठित सभी कोषांगों के वरीय/सभी पदाधिकारियों, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।